रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072022-237489
CG-DL-E-23072022-237489

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3166]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2022/आषाढ़ 31, 1944
No. 3166]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2022/ASHADHA 31, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2022

का.आ. 3327(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस समाधान हो जाने के पश्चात कि राजस्थान राज्य के नागौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 65 के कि.मी. 172/346 से 173/519 तक के भू-खण्ड के निर्माण (नागौर मानासर फाटक पर आरओबी लेवल क्रोसिग संख्या. 64 मानासर फाटक पथ)ए अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित हे जिसका संक्षिप्त वर्णत नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्व है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, एवं अपर जिला कलक्टर नागौर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसके आधार अधिकंथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेषेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियो की सुनवाई के पश्चात तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश् द्वारा या तो आपत्तियो को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा। उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश् अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय मे उपलब्ध है और उनका हितबद्व व्यक्तियो द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के नागौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65 नागौर खण्ड के मानासर फाटक पर आर.ओ.बी लेवल क्रोसिग संख्या. 64 मानासर फाटक पथ निर्माण कार्य के कि.मी. 172/346 से 173/519 तक के भू-खण्ड के निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान	**जिले का नाम: नागौर**				
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)**
तालुक का नाम: नागौर					
गांव का नाम: नागौर					
1	361/853	निजी	गै.मुं.आबादी	0.0065710(हेक्टेयर)	0.0065710
			कुल	**0.0066**	**0.0066**

[फा. सं. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2022-23/01/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2022

S.O. 3327(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of ROB and its approaches in lieu of existing level crossing C-64 at Nagaur City (Manasar Phatak) at K.m. 172.990 (stretch Km. 172.346 to Km. 173.519) on NH-65 in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional District Collector (Nagaur) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling on National Highway No. 65 Construction of 2 Lane ROB and its approaches in lieu of existing level crossing C-64 at Nagaur City (Manasar Phatak) at Km. 172.990 (stretch Km. 172.346 to Km. 173.519) on NH-65 in the State of Rajasthan.

State: RAJASTHAN	**District: NAGAUR**				
S.No.	**Survey / Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectare)**
Taluk: Nagaur					
Village: Nagaur					
1	361/853	Private	Gai.Mu. Aabadi	0.0065710(Hectare)	0.0065710
			Total	**0.0066**	**0.0066**

[F. No. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2022-23/01/3A]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.07.23 12:36:54 +05'30'